

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

**:: आदेश ::**

प्रशासन गांधी से संग अधिनियम-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नारेली व भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नारेली पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2075-2078 में खाता संख्या 27, 150, 151, 152 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	<u>नारेली</u>	<u>27, 150, 151, 152</u>	<u>भगवतसिंह पुत्र रामसिंह</u>	<u>भगवतसिंह उर्फ भगवान सिंह पुत्र रामसिंह</u>

प्रशासन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 15

दिनांक:- 2/12/21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

प्रशासन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा